न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर
म्हावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 56/2017

1. रावण सिंह उर्फ बेरीसाल सिंह पुत्र स्व0 बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. घीसूसिंह उर्फ घींसासिह पुत्र स्व0 बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
2. उच्छव कुवर पत्नी स्व0 चैनसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
3. रतनकंवर पुत्री स्व0 चैनसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
4. गीताकंवर पुत्री स्व0 चैनसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
5. लक्ष्मणसिह दतक पुत्र. स्व0 चैनसिह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सजानगढ जिला चूरू ।
6. मगनकंवर पुत्री स्व0 बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
7. सिरे कंवर पुत्री स्व0 बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
8. जुनी कंवर पुत्री स्व0 बन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:46:34 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— 1.श्री सुर्यप्रकाश स्वामी अधिवक्ता अपीलांट्
2.श्री विनोद कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.17 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955

<u>निर्णय</u> दिनांकः—03.02.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.17 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 36 रकबा 20.19 बीघा, ख0न0 246 रकबा 02.12 बीघा, ख0न0 310 रकबा 26.11 बीघा, ख0न0 323 रकबा 04.05 बीघा, ख0न0 340 रकबा 15 बीघा व ख0न0 341 रकबा 12.02 बीघा कुल किता 6रकबा 81.09 बीघा वाके रोही मौजा अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है । वादगत कृषि भूमि संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा अपीलांट/वादीगण का बनता है जिसकी घोषणा व राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती करवाने हेतु दावा मय राजीनामा पेश किया गया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी खारिज कर दिया गया ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 36 रकबा 20.19 बीघा, ख0न0 246 रकबा 02.12 बीघा, ख0न0 310 रकबा 26.11 बीघा, ख0न0 323 रकबा 04.05 बीघा, ख0न0 340 रकबा 15 बीघा व ख0न0 341 रकबा 12.02 बीघा कुल किता 6 रकबा 81.09 बीघा वाके रोही मौजा अणखोल्या तहसील सुजानगढ जिला चूरू में स्थित है । उपरोक्त खसरा नम्बरो के संबंध में घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती की डिक्री बाबत अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया था जिसे न्याय आपके द्वार अभीयान के अन्तर्गत वादी एवं तमाम प्रतिवादीगण व्यक्तिश अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.17 को उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया । अधिनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकरान का मुताबिक परिक्षण कर राजीनामा के संबंध में आवश्यक पुछताछ कर राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली का आदेश फरमाया उसी वक्त श्रीमती भंवरकंवर पुत्री स्व0 किशनसिंह जो वादी/अपीलां[illegible]उ स्व0 किश्नसिह की पुत्री है, इन्होने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक शपथ पत्र पेश कर स्वयं के चाचा स्व0 बन्ने सिह के भंवरकंवर नाम की कोई पुत्री नही होने आदि के संबंध में पेश किया । जिसे सही मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने शामील पत्रावली करने का आदेश प्रदान किया । स्व0 दुलसिह के दो पुत्र किशनसिह व बन्ने सिंह हुऐ ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:46:34 IST
Reason: SelfAttested

किशनसिंह के तीन पुत्रियां भंवर कंवर, बजुकंवर उर्फ सोहन कंवर एवं मोहन कंवर हुई । कोई पुत्र संतान नही होने से किशनसिंह ने अपने जीवन काल में अपने छोटे भाई बन्ने सिंह के तीन पुत्रों में से सबंसे पुत्र चैनसिह का सामाजीक, धार्मिक, गांववाई रिती रिवाजो को सम्पन्न कर अपनी तिथ में गोद ले लिया व चैन सिंह का लालन पालन, विवाह आदि जाईन्दा पुत्र की तरह किया । चैनसिंह ने जाईन्दा पुत्र की तरह किशन सिंह की सेवा की । किशनसिह के निधन पर चैनसिंह ने जाईन्दा पुत्र की तरह भद्र होकर सारे सामाजिक व धार्मिक संस्कार व गंगाप्रसादी की । किशन सिह की पगडी भी चैनसिंह को बाधीं गयी । इस प्रकार स्व0 चैनसिह का बन्नेसिह की सम्पती में कोई अधिकार नही बनता है । चैनसिंह ने जीवनपर्यन्त स्व0 किशनसिह की चल व अचल सम्पती को भोग व उतराधिकार मे प्राप्त किया । चैन सिंह के निधन के बाद चैनसिंह का नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से चला आ रहा है । जिसके संबंध में स्व0 चैनसिह के तमाम उतराधिकारीगण को पक्षकार दावा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 बनाया जाकर स्व0 चैनसिंह का नाम हटाया जाने का निवेदन किया गया है । वादगत खेतो में राजस्व विभाग की भूल व गलतफहमी से किशनसिंह की बडी पुत्री भंवरकंवर का नाम स्व0 बन्नेसिंह की एल में बन्नेसिह की पुत्री के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया है जिसे हटाया जाकर रिकार्ड संशोधित किया जावे । रावण सिह का वास्तविक व सही नाम रावणसिंह है किन्तु अपीलांट/वादी को बचपन में प्यार से घरेलू नाम बेरीसाल सिंह के नाम से भी पुकारा जाता था जिस कारण से स्व0 बन्नेसिह के निधन पर बन्ने सिंह के पुत्र के रूप में रावणसिंह का घरेलु नाम बेरीसालसिंह राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया । जबकि रावणसिह पुत्र स्व0 बन्ने सिह के सही नाम से चुनाव सही नाम से चुनाव आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची आदि सभी दस्तावेज बने है इसलिये बेरीशाल के नाम के स्थान पर सही नाम रावणसिह दर्ज कर रेकार्ड शुद्व किया जावे । रेस्पो0 स0 1 घीसुसिह का सही नाम घीससिह है सहवन से राजस्व रेकार्ड में घीसासिंह दर्ज हो गया जो अशुद्व है उसे शुद्व किया जाकर घीसुसिह नाम दर्ज किया जावे । उपरोक्त रिलिफ का दावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था । जिसके तहत न्याय आपके द्वार अभियान में दिनांक 30.06.17 को वाद के सभी पक्षकार उपस्थित आये और लोक अदालत की भावना से पारिवारिक समस्या का घर परिवार में बैठ कर सुलह करने की गुजारिश करते हुऐ सही राजस्व रेकार्ड कायमी किये जाने का राजीनामा पेश किया गया ताकि भविष्य में विवाद नही हो । अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों से पुछताछ कर परिक्षण कर लिया व राजीनामा के तथ्यों को पढा जिसे पक्षकारों द्वारा सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:46:34 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक कर शामील पत्रावली का आदेश दिया । इसी दौरान श्रीमती भंवरकंवर पुत्री श्री किशनसिंह ने मातहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र पेश किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने परिक्षण कर सही होना मानकर शामिल पत्रावली करने का आदेश फरमाया । बाद तस्दीक राजीनामा वादगत कृषि भूमि के संबंध में पक्षकारों में कोई विवाद शेष नही रहने पर अधिनस्थ न्यायालय को वादी का दावा डिक्री किये जाने में कोई कानूनी बाधा नही थी । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व न्याय आपके द्वारा अभियान के अन्तर्गत जारी परिपत्रों के मुताबिक मातहत अदालत में कतैई गैर कानूनी तथ्यों का उल्लेख कर दावा वादी खारिज किया तथा भंवरकंवर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को जानबुझकर नजर अंदाज कर दिया । निर्णय में ग्रामीण परिवेश की स्थिति के विपरित तथ्यो को उल्लेखित किया गया है व निर्णय का डिक्री दिनांक 30.06.2017 प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है जो उपरोक्त तमाम तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश खारिज फरमावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाव ।

4. रेस्पो0पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को स्वीकार किया है और राजीनामे के अनुसार शुद्विकरण एवम नाम हजब करने पर कोई ऐतराज अपने कथन में नही किया है ।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेण्ट पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । किशनसिंह के पुत्र संतान नही होने से अपने छोटे भाई बन्ने सिंह के तीन पुत्रों में से सबसे बडे पुत्र चैनसिंह का सामाजिक धार्मिक रितीरिवाजो से गोद लिया जाना बताया है व किशनसिंह के निधन के पश्चात चैनसिंह ने सारे धार्मिक एव सामाजिक संस्कार गंगाप्रसादी आदि को सम्पन्न किया है लेकिन चैनसिह को अपने पिता बन्नेसिंह की सम्पत्ती में कोई अधिकार नही बनता है क्यों कि चैनसिह स्व0 किशनसिंह की चल व अचल सम्पत्ती को भोग व उतराधिकार में प्राप्त किया है । चैन सिह का निधन होने के पश्चात उसके वारिसों का नाम अपने पिता की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से चला आ रहा है । किशनसिंह की बडी पुत्री भंवरकंवर का नाम स्व0 बन्नेसिहं के राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया जिसे हटाया जाकर संशोधन का निवेदन किया है । बन्नेसिंह के पुत्र रावणसिह को घरेलु नाम बेरीसाल सिंह को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया है लेकिन रावणसिंह पुत्र बन्नेसिह के सही नाम से चुनाव आयोग का पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची आदि सभी दस्तावेज बने है इसलिये बेरीसाल सिंह के नाम पर सही नाम रावणसिह दर्ज रेकार्ड शुद्व किया जावे । प्रतिवादी सं0 ... घीसुसिंह का सही नाम घीसुसिह है सहवन से राजस्व रेकार्ड में घीसासिंह दर्ज कर दिया गया है जो सही नाम घीसुसिह पुत्र स्व0 श्री बन्नेसिंह दर्ज होना चाहिये था । इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत हरासर पचायत समिति सुजानगढ ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.17 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:46:34 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट रूप से लिखा है कि बन्ने सिंह के दुसरे पुत्र का वास्तविक नाम रावणसिंह है जिन्हे बचपन में घरेलू नाम बेरीसालसिंह से पुकारा जाता था । बेरीसालसिंह व रावणसिंह एक ही व्यक्ति है । बन्नेसिह के तिसरे लडके का सही नाम घीसुसिंह है घीसासिह नही है तथा स्व0 बन्नेसिंह के भंवरकंवर नाम की कोई पुत्री संतान नही है । बन्ने सिंह के बडे भाई किशनसिंह के बडी पुत्री का नाम भवंरीकंवर है । स्व0 बन्नेसिंह की एल में पुत्री के रूप मे राजस्व रेकार्ड में भंवरकंवर का नाम गलत रूप से दज है । उपरोक्त संशोधन/सुधार किया जाना सही व उचित होगा । अधिनस्थ न्यायालय में उपरोक्त रिलिफ का दावा पेश कर दिया गया था तथा उसका परिक्षण एवम पुछताछ सभी पक्षकारों से कर दस्तावेज तस्दीक भी कर दिये गये लेकिन दावा न्याय आपके द्वार राजस्व अभियान में खारिज कर ग्रामीण परिवेश के किसानो की समस्याओ के समाधान, जनकल्याणकारी कार्यो की क्रियान्वति हो सही मायने में साकार नही कर न्याय आपके द्वार अभियान की पूर्ण रूप से पालना नही की गयी है ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सुजानगढ को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि दोनो पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तस्दीक शुद्वा राजीनामे के अनुसार सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें ।

7. निर्णय आज दिंनाक 03.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:46:34 IST
Reason: SelfAttested